राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

सं. एफ.4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/107 जयपुर, दिनांक :29-01-2013

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिये इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2013 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 273 का संशोधन.**- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 273 के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

   "परन्तु यह भी कि कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की दशा में, योग्यता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी वरीयता के आधार पर तैयार की जायेगी जो सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और ऐसे अंकों, जो मनरेगा में नियोजन(प्लेसमैन्ट) एजेन्सी के माध्यम से भिन्न, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (क.त.स.), कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन, लेखा सहायक, कनिष्ठ लिपिक, समन्वयक आई.ई.सी., समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक पर्यवेक्षण या राज्य में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की किसी स्कीम में के पद पर लगे हुए व्यक्तियों द्वारा अर्जित एक वर्ष से अधिक अनुभव की समयावधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये।

स्पष्टीकरण : जहां कहीं अंकों का प्रतिशत किसी विशिष्ट परीक्षा में अभ्यर्थी को दी गयी ग्रेड के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सके वहां ऐसी परीक्षा में अभ्यर्थी को दी गयी ग्रेड का मध्यवर्ती ऐसी योग्यता सूची की तैयारी के लिये आधार होगा।"

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

(किशन लाल बाडेटिया)

शासन उप सचिव।

प्रतिलिपिः—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र(असाधारण) के भाग 4(सी)(जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड 1 में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव ।